

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 836/2008

1. श्री प्रेमचन्द लूनावत, -
विकास विला, सी0एम0 हाऊस के सामने,
सिविल लाईन्स, रायपुर (छत्तीसगढ़)

अपीलार्थी

विरुद्ध

1. जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय नगर पालिका निगम,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रति अपीलार्थी

// आदेश //

(दिनांक 13 फरवरी, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री प्रेमचन्द लूनावत द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका निगम, रायपुर के समक्ष दिनांक 22.01.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पर समयवधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 28.03.2008 को अपील भी प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर अपीलीय अधिकारी के निर्देश के बाद भी जानकारी नहीं दिये जाने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 26.07.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और चूंकि आयोग की नोटिस एवं कारण बताओ सूचना पत्र के उपरांत भी प्रति अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुये, अतः उनके विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही की गई । प्रकरण में जानकारी नहीं दिये जाने के कारण जन सूचना अधिकारी को पाँच हजार रुपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, किन्तु न तो इनके द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हुये, इससे ऐसा प्रतीत हाता है कि सूचना का अधिकार संबंधी आवेदनों के प्रति उनका रवैया अत्यन्त लापरवाहीपूर्ण भरा है और प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 06.05.2008 के बाद भी उनके द्वारा अपीलार्थी को जानकारी दिये जाने के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया और जानकारी प्रदान नहीं की गई, इससे उनका दोष सिद्ध प्रतीत होता है । प्रकरण में चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड में एक पत्र नगर निवेशक को दिनांक 24.01.2008 को लिखा जाना प्रतीत होता है, जिसमें जानकारी उनसे संबंधित होने के कारण उन्हें जानकारी भेजने के लिए निर्देशित किया गया था, अतः इस प्रकरण में जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध शास्ति लगाया जाना उचित नहीं है, अतः जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है, किन्तु चूंकि आयोग के कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर भी नहीं दिया गया है और अपीलार्थी को जानकारी दिलवाया जाना भी सुनिश्चित नहीं किया गया है, जिससे सूचना के अधिकार के प्रति उनकी लापरवाही सिद्ध होती है, अतः जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध विलंब के लिए अधिनियम की धारा-20(2) के अन्तर्गत आयुक्त, नगर निगम, रायपुर को विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है ।

//2//

चूंकि प्रकरण में नगर निवेशक द्वारा ही वास्तविक रूप से विलंब किया गया है, अतः आयुक्त, नगर निगम को अधिनियम की धारा-20(2) के अन्तर्गत यह अनुशंसा की जाती है कि नगर निवेशक, रायपुर के विरुद्ध भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । साथ ही अब प्रकरण में यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि संबंधित रिकार्ड का अब एक सप्ताह में अपीलार्थी को नगर निवेशक द्वारा निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे और उसके बाद उसमें से जो जानकारी वे चाहे, वह अब 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान की जावे । प्रकरण में आयुक्त, नगर निगम, रायपुर यह सुनिश्चित करेंगे कि अब आयोग के निर्देशों का समयावधि में पालन किया जावे । साथ ही विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत नगर निगम की ओर से राशि 300/- रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

